(20)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक :– ..../PBR/2017 निगरानी R 954-PBR/17

श्रीमती दयावती पत्नी श्री रतन सिंह यादव निवासी पुराना बस स्टैण्ड मेन रोड़ भितरवार जिला ग्वालियर –प्रार्थिनी

बनाम

1– कल्लाराम पुत्र श्री सरमन किरार

2– राकेश पुत्र श्री मवसिया किरार निवासीगण नगर भितरवार तहसील भितरवार जिला ग्वालियर –प्रतिप्रार्थीगण

दिनांक 27.3.17 को श्री ... द्वारा प्रस्तुत।

27.3.17

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 16/03/2017 न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी भितरवार जिला ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 05/2005–06/अपील व उनमान कल्लाराम आदि बनाम श्रीमती दयावती।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक 954-पीबीआर/2017 **जिला ग्वालियर**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
7–4–17	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी भितरवार जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–3–2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा प्रकरण का बिना गुणदोषों पर निराकरण किये निरस्त किये जाने की मॉग के आवेदन पत्र को निरस्त किया गया है, जो कि विधिसंगत कार्यवाही है, क्योंकि प्रकरण का निराकरण गुणदोष के आधार पर करना ही न्यायिक कार्यवाही है । अतः प्रथमदृष्टया यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । **अध्यक्ष**	